रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102] दिल्ली, सोमवार, अगस्त 11, 2014/श्रावण 20, 1936 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 75
No. 102] DELHI, MONDAY, AUGUST 11, 2014/SHRAVANA 20, 1936 [N.C.T.D. No. 75

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 11 अगस्त, 2014

सं. एफ. 27ए/डब्ल्यू.एफ.डी./सी. ओ.टी /13-14/3486-93.—जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है,

अतः अब दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, लोक निर्माण विभाग द्वारा महरौली – महिपालपुर रोड के विस्तार के लिए (एसएच : 4 लेन से 8 लेन तक और सर्विस रोड, अंधेरिया मोड़ से फोर्टिस अस्पताल रेड लाइट तक रोड के दोनों तरफ – एलएचएस एवं आरएचएस) नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 15.75 हैक्टेयर क्षेत्रफल (लगभग) से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (3) के उपबंधों से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

क्रम सं.	स्थान	क्षेत्र का विस्तार (हैक्ट.)	हटाए जाने वाले वृक्षों की संख्या	अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
1.	महरौली – महिपालपुर रोड अंधेरिया मोड़ से फोर्टिस अस्पताल रेड लाइट, दिल्ली	15.75 (लगभग)	708 – हटाए जाने वाले 102 – प्रत्यारोपण	10000
		कुल योग	810	10000

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :—

(क) आवेदक को पाँच वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 3,22,00,000 रुपये (तीन करोड़ बाईस लाख रुपये मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

परियोजना संख्या	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
1.	10000	रु 3,22,00,000	उप–वन संरक्षक (पश्चिमी)/वृक्ष अधिकारी

(ख) उपभोगी संस्था द्वारा 6400 पौधे निर्माण कार्यस्थल महरौली –महिपालपुर, दिल्ली रोड के विस्तार (अंधेरिया मोड़ से फोर्टिस अस्पताल रेड लाइट तक रोड के दोनों तरफ – एलएचएस एवं आरएचएस), की खाली जगह पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा तथा उनका पाँच वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा शेष 3600 पोधों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा उपलब्ध जगह खरखरी जटमल, दिल्ली में किया जाएगा ।

(ग) उप–वन संरक्षक के परामर्श से वृक्षों को काटे जाने के पश्चात् प्राप्त लकड़ी लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली नगर निगम के संबधित कर्मचारियों को सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाए।

(घ) वृक्ष काटे जाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकड़ियों की ढुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी (पश्चिमी) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATIONS

Delhi, the 11th August, 2014

No. F. 27A/WFD/COT/13-14/3486-93.—Whereas the Government of National Capital Territory of Delhi considers it necessary to do so in the public interest,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby exempts an area of total 15.75 ha (approx.) as detailed below for widening of Mehrauli-Mahipalpur Road (SH: From 4 lanes to 8 lanes and service road from Andheria Mod to Fortis Hospital Red Light, both side of road –LHS and RHS), by Public Works Department, from the provision of Sub-Section (3) of Section 9 of the said Act :—

Sl. No.	Location	Extent of Area (ha.)	No. of trees required to be removed/Transplant	Compensatory plantation required (No. of trees)
1	Mahrauli-Mahipalpur Road Andheria Mod To Fortis Hospital Red Light, Delhi	15.75 ha (Approx.)	708 - Removed 102 - Transplant	10000
		Total	810	10000

The exemption is subject to fulfillment of the following conditions:

a) The applicant shall make an advance deposit of an amount of Rs. 3,22,00,000 (Rupees Three Crore Twenty Two Lakh Only) for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of 5 (five) years as follows:

Project No.	No. of Saplings to be Planted (No. of trees)	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.)	To be Deposited with Forest Division
1	10000	3,22,00,000	DCF (West)/Tree Officer

b) The compensatory plantation will be raised and maintained for 5 (five) years i.e. 6400 no. of trees compensatory plantation will be done by the User Agency i.e. PWD in vacant land available at the construction site of widening of Mehrauli-Mahipalpur Road (From Andheria Mod to Fortis Hospital Red Light, both side of the road-LHS and LHS, Delhi and balance 3600 no. of trees by the Forest Department at land available in Kharkkhari Jatmat, Delhi.

c) The wood obtained on removal of trees shall be handed over by the PWD to the officials concerned of MCD for its use on public crematoria in Delhi in consultation with the territorial DCF.

d) Before shifting of wood from site of removal of trees, transportation permission for transportation of the said wood shall be obtained from Tree Officer (West).

सं. एफ.19/डब्लयू.एफ.डी./सी. ओ.टी/14-15/3494-3502.— जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है,

अतः अब दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (गृह मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा अंधेरिया मोड़ में राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 1.16 हैक्टेयर क्षेत्रफल (लगभग) से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (3) के उपबंधों से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

क्रम सं.	स्थान	क्षेत्र का विस्तार (हैक्ट.)	हटाए जाने वाले वृक्षों की संख्या	अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
1.	अंधेरिया मोड़ में राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड बुनियादी ढांचा (गृह मंत्रालय)	1.16 हैक्टेयर (लगभग)	305 . हटाए जाने वाले 07 प्रत्यारोपण	5000
		कुल योग	312	5000

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :—

(क) आवेदक को पाँच वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार रु. 1,61,00,000 रुपये (एक करोड़ इकसठ लाख रुपये मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

परियोजना संख्या	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
1.	5000	रु. 1,61,00,000	उप–वन संरक्षक (पश्चिमी)/वृक्ष अधिकारी

(ख) उपभोगी संस्थाः राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड द्वारा 3440 पौधे, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड परिसर अंधेरिया मोड़ के भीतर की खाली जगह पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा तथा उनका पाँच वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा शेष 1560 पौधों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा भी उसी जगह पर किया जाएगा

(ग) उप–वन संरक्षक के परामर्श से वृक्षों को काटे जाने के पश्चात् प्राप्त लकड़ी राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (गृह मंत्रालय) द्वारा दिल्ली नगर निगम के संबधित कर्मचारियों को सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाए।

(घ) वृक्ष काटे जाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकडियों की ढुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी (पश्चिमी) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव कुमार, सचिव

No. F.19/WFD/COT/14-15/3494-3502.—Whereas the Government of National Capital Territory of Delhi considers it necessary to do so in the public interest,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby exempts an area of total 1.16 ha (approx) as detailed below for construction of NATGRID infrastructure at Andheria Mod, Delhi by National Intelligence Grid (Ministry of Home Affairs), from the provision of Sub-Section (3) of Section 9 of the said Act

Sl. No.	Location	Extent of Area (ha.)	No. of trees required to be removed/Transplant	Compensatory plantation required (No. of trees)
1	NATGRID infrastructure at Andheria Mod, Delhi.	1.16 ha (Approx)	305 - Removed 07 - Transplant	5000
		Total	312	5000

The exemption is subject to fulfillment of the following conditions:

a) The applicant shall make an advance deposit of an amount of Rs. 1,61,00,000/- (Rupees One Crore Sixty One Lakh Only) for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of 5 (five) years as follows:

Project No.	No. of Saplings to be Planted (No. of trees)	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.)	To be Deposited with Forest Division
1	5000	1,61,00,000/-	DCF (West)/Tree Officer

b) The compensatory plantation will be raised and maintained for 5 (five) years i.e. 3440 no. of trees compensatory plantation will be done by the User Agency i.e. NATGRID in vacant land within the NATGRID premises at Andheria Mod, Delhi and balance 1560 no. of trees by the Forest Department on the same site.

c) The wood obtained on removal of trees shall be handed over by the NATGRID to the officials concerned of MCD for its use on public crematoria in Delhi in consultation with the territorial DCF.

d) Before shifting of wood from site of removal of trees, transportation permission for transportation of the said wood shall be obtained from Tree Officer (West)

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SANJIV KUMAR, Secy.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 अगस्त, 2014

सं.फा एए(अनु0)/स्वा0 एवं परि. कल्या./2013/6529.37.— मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42) की धारा 9 की उपधारा (4) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तन्तु प्रत्यारोपण नियमावली, 2014 के नियम 11 एवं 13 के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इसके द्वारा राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति का निम्न प्रकार गठन करते हैं :—

1	संकायाध्यक्षक, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज	अध्यक्ष
2	विभागाध्यक्ष (औषधि), लोक नायक अस्पताल	सदस्य
3	विभागाध्यक्ष (जीआई शल्य चिकित्सा), गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पताल	सदस्य
4	सचिव, दिल्ली महिला आयोग	सदस्य
5	स्थाई काउंसिल (सिविल), दिल्ली सरकार	सदस्य
6	सचिव (स्वास्थ्य) या उसका नामिती	सदस्य
7	निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं	सदस्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

सुषमा सिंह, उप–सचिव

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 11th August, 2014

F.No.SS(Projects)/H&FW/2013/6529-37.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (4) of section 9 of the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (42 of 1994) and in compliance of rules 11 and 13 of the Transplantation of Human Organs and Tissues Rules, 2014, Government of National Capital Territory of Delhi hereby constitutes the State Level Authorization Committee as under:-

1. Dean, Maulana Azad Medical College - Chairperson
2. HOD(Medicine), Lok Nayak Hospital - Member
3. HOD(GI Surgery), GB Pant Hospital - Member
4. Secretary, Delhi Commission for Women - Member
5. Standing Counsel (Civil) of Delhi Govt. - Member
6. Secretary(Health) or his nominee - Member
7. Director, Health Services - Member

By Order and in the Name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

SUSHMA SINGH, Dy. Secy.

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 अगस्त, 2014

फा.सं. 39(7)/यूडी/डीयूएसआईबी/2011/2929–43.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल, मलिन बस्ती (सुधार व सफाई) अधिनियम, 1956 (1956 का 96) की धारा 2 के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री संजीव कुमार, डी.जे.एस. को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उल्लेखित शक्तियों के प्रयोग तथा कार्यों के निष्पादन हेतु, सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं। वह दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड में इस पद पर बने रहने तक कार्य करते रहेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजेन्द्र कुमार, सचिव

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 11th August, 2014

No. 39(7)/UD/DUSIB/2011/2929-43.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of section 2 of the Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1956 (96 of 1956), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri Sanjeev Kumar, DJS, as the Competent Authority to exercise the powers and discharge of the functions under the provisions of the said Act, until the day he is entrusted at this post in the Delhi Urban Shelter Improvement Board.

By Order and in the Name of Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

RAJENDRA KUMAR, Secy.

3171 DG/14-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.